07

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	1075 / 2017	मन्नीदेवी / इन्दिरा गृह निर्माण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 225 RTA Act	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

15.12.17. अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित।

कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के प्रारम्भ में निवेदन किया कि अपीलांटस विवादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है एवं अपीलांट स. 3 के अधिवक्ता अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्य मुकदमे के संदर्भ मे उपस्थित हुये थे तत्समय ही रेस्पोडेन्ट स. 1 के अधिवक्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन प्रकरण मे अनुतोष चाहा जा रहा था, जिस पर अधिवक्ता अपीलांट स. 3 ने एतराज जाहिर किया एवं तत्पश्चात तुरन्त ही प्राथमिक आपत्ति का प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया, जिसके पश्चात भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बेक डेट में अपीलाधीन आदेश अपीलार्थी के पक्ष को नजरअन्दाज करते हुये पारित कर दिया गया जो न्यायिक एवं प्राकृतिक सिद्धांतो के विपरित पारित किया आदेश होने से निरस्त किया जावे। अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस मे आगे निवेदन किया कि प्रकरण मे सम्बन्धित प्रश्नगत आराजी आबादी मे परिवर्तित हो चुकी है जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार ही नही था एवं इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अन रजिस्टर्ड इकरारनामे को आधार मानकर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह कानूनन मूल रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध गलत रूप से पारित किया गया आदेश है। अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के अन्त मे हमारा ध्यान न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मन्नीदेवी / इन्दिरा गृह निर्माण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1075/2017		225 RTA...

आदि· सिविल न्यायाधीश क्रम-26 जयपुर महानगर, सांगानेर, जयपुर के आदेश दिनांक 27/2/2017 की प्रमाणित प्रति की ओर आकर्षित कराकर निवेदन किया कि इन्द्रा गृह निर्माण सहकारी समिति मे समापक नियुक्त होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट सं·1 जरिये मन्त्री दावा गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है क्यूंकी कानूनी रूप से ऐसी संस्था की सारी देख-रेख, कार्यभार समापक नियुक्ति के पश्चात मात्र समापक के द्वारा ही किया जा सकता है तथा समापक नियुक्ति के पश्चात मन्त्री, अध्यक्ष अथवा अन्य किसी प्रतिनिधि को किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व करने का कानूनन कोई अधिकार ही नहीं रह जाता है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानून के सुस्थापित सिद्धांतो के विपरित जाकर रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है कि हिमान्विति वा फैसला अपील स्थागित करमाई जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपील पत्रावली के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलार्थीगण की खातेदारी दर्ज रिकार्ड है एवं अपील पत्रावली के साथ प्रस्तुत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/कम्पनी/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 मात्र अन रजिस्टर्ड इकरारनामे के आधार पर अपना हक अधिकार विवादग्रस्त भूमि पर बताते हुये आई है एवं इसके अतिरिक्त न्यायालय आदि· सिविल

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1075/2017	मन्नीदेवी / इन्दिरा गृह निर्माण 225 RTAct	

न्यायाधीश क्रम-26 जयपुर महानगर, सांगानेर, जयपुर के आदेश दिनांक 27/2/2017 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट होता है कि चूंकी प्रार्थी समिति में समापक नियुक्त कर दिया गया है तो समिति के किसी भी प्रतिनिधी से किसी प्रकार की कार्यवाही कराने हेतु अधिकार ही शेष नही रहते। अतः ऐसी परिस्थिति मे एक रिकार्डेड खातेदार को उसके खाते की आराजीयात के उपयोग-उपभोग के संदर्भ मे पाबन्द किया जाना उचीत प्रतीत नही होने से आदेश जेर अपील दिनांक 08/12/2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे नियत आगामी पेशी को उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलार्थीगण को जरिये अधिवक्ता पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे नियत आगामी पेशी दिनांक 16/1/2018 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15/12/2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर